न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 76/2016

1. जयशिवराजा पुत्र श्री जगतपाल जाति जाट उम्र 23 वर्ष निवासी 1 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. जगतपाल पुत्र बलबीर उर्फ बीरबल
2. ज्योति पत्नी जगतपाल

} अकवाम जाट निवासीयान 1 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर।

3. स्टेट आफ राजस्थान – जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. बाबत विभाजन एवम् खातेदारी अधिकारों की घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मनोहरलाल सहारण अधिवक्ता — वादीगण

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 27.09.2016**

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपनें माता पिता के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :–

तहसील श्रीगंगानगर के चक 5 एम.एल. की खतौनी संख्या 28/25 के मुरब्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 12 ता 19 सालम, 21 ता 25 प्रत्येक में 0.152 हैक्टर कुल 2.784 हैक्टर नहरी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, वह जद्दी जायदाद है जो श्री जगतपाल को अपनें पिता श्री बलबीर से विरास्तन प्राप्त हुई है, जद्दी जायदाद होनें के कारण वादी का इसमें जन्म से हक व हिस्सा बनता है जिसे वह पानें का अधिकारी है

उपरोक्त रकबा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है वह संयुक्त अविभाजित परिवार की संयुक्त अविभाजित सम्पत्ति है। चूँकि खाता प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से बैक ऋण सुविधा व सरकारी अनुदान आदि नहीं मिल पाते इस कारण हक व हिस्सा अनुसार, कब्जा काश्त अनुसार खाता तकसीम करवाना आवश्यक है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो खर्चीले स्वभाव का है व बिना संयुक्त परिवार की घरू आवश्यक्ता के रकबा को बैय करने की फीराक में है, व बेवजह दलालो को भूमि बेचनें का कहकर उनको खेत में ले जाकर मौका आदि दिखाता हे पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

नें बिना घरू जरूरत के संयुक्त परिवार की सम्पत्ति को बेचनें का इकरार किया था जिस पर आज से करीब तीन वर्ष पूर्व नजदीकी रिश्तेदारों व गांव के मौतबिरान नें वादी व प्रतिवादी का आपस में घरू बंटवारा अनुसार राजीनामा करवा दिया था तथा सौदा कैंसिल करवा दिया था तब से घरू बंटवारा के अनुसार वादी एवम् प्रतिवादीगण अपनें अपनें हक व हिस्सा पर काबिज है व बिना किसी विघन के अपनें रकबा का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है।

घरू बंटवारा के अनुसार प्रत्येक पक्ष के कब्जा में रकबा निम्न प्रकार है :–

(क) <u>वादी का हिस्सा :–</u> चक 5 एम.एल. मुरब्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 12, 13 सालम किला नम्बर 18 सालम, किला नम्बर 19 में 0.017, किला नम्बर 21 में 0.152 कुल 0.928 हैक्टर।

(ख) <u>प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा :–</u> चक 5 एम.एल. मुरब्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 14 ता 16 सालम, किला नम्बर 19 में 0.017, किला नम्बर 25 में 0.152 कुल 0.928 हैक्टर।

(ग) <u>प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा :–</u> चक 5 एम.एल. मुरब्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 17 में 0.236, किला नम्बर 19 में 0.236 किला नम्बर 22 ता 24 प्रत्येक में 0.152 कुल 0.928 हैक्टर।

वादी नें कई बार प्रार्थी को घरेलू बंटवारा अनुसार हक व हिस्सा अनुसार खाता खाता विभाजन करनें का कहनें पर पर पहले तो आजकल आजकल करते रहे फिर स्पष्ट इनकार होनें के कारण वाद पेश कर वाद की मद संख्या 7 के अनुसार खाता विभाजन हेतु अनुतोष चाहा है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। दिनांक 17.06.2016 को पत्रावली न्याय आपके द्वारा अभियान के तहत कैम्प कोर्ट साहुवाला में पेश होनें पर वादी एवम् प्रतिवादीगणों के मध्य समझाईश के दौरान राजीनामा पेश हुआ जिसके अनुसार वादी जयशिवराज के हिस्से में चक 5 एम.एल. मुरब्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 12, 13 सालम किला नम्बर 18 सालम, किला नम्बर 19 में 0.017, किला नम्बर 21 में 0.152 कुल 0.928 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 जगत पाल के हिस्से में चक 5 एम.एल. मुरब्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 14 ता 16 सालम, किला नम्बर 19 में 0.017, किला नम्बर 25 में 0.152 कुल 0.928 हैक्टर। तथा प्रतिवादी संख्या 2 ज्योति के हिस्से में चक 5 एम.एल. मुरब्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 17 में 0.236, किला नम्बर 19 में 0.236 किला नम्बर 22 ता 24 प्रत्येक में 0.152 कुल 0.928 हैक्टर भूमि का खाता विभाजन करनें का राजीनामा पेश किया। जिसे खुले शिविर में पढ़कर सुनाया गया वादी एवम् प्रतिवादी के सहमत होने पर राजीमाना पर हस्ताक्षर करवाये गये वादी एवम् प्रतिवादीगण की पहचान श्री रणजीतसिंह डायरेक्टर जोन नम्बर 9 पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा की गई। दिनांक 13.09.2016 को स्टेट की और से जबाब प्रस्तुत हुआ जिसमें कथन किया कि राज्य हितों को मध्यनजर रखते हुए निर्णय किया जाना उचित है।

वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं होनें तथा राजीनामा पेश करनें के कारण दिनांक 20.09.2016 को बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्ता

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

लगातार 3

नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादी विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात तथा दिनांक 17.06.2016 को पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अवलोकन से राजीमाना के अनुसार वाद पत्र का निस्तारण किया जाना विधि अनुसार एवम् लोक अदालत की भावना के अनुरूप है इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वादी जयशिवराजा को चक 5 एम.एल. की खतौनी संख्या 28/25 के मुरब्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 12 ता 19 सालम, 21 ता 25 प्रत्येक में 0.152 हैक्टर कुल 2.784 हैक्टर भूमि में बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है :–

1. <u>वादी जयशिवराजा का हिस्सा :–</u> चक 5 एम.एल. मुरब्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 12, 13 सालम किला नम्बर 18 सालम, किला नम्बर 19 में 0.017, किला नम्बर 21 में 0.152 कुल 0.928 हैक्टर।
2. <u>प्रतिवादी संख्या 1 जगतपाल का हिस्सा :–</u> चक 5 एम.एल. मुरब्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 14 ता 16 सालम, किला नम्बर 19 में 0.017, किला नम्बर 25 में 0.152 कुल 0.928 हैक्टर।
3. <u>प्रतिवादी संख्या 2 ज्योति का हिस्सा :–</u> चक 5 एम.एल. मुरब्बा नम्बर 76 के किला नम्बर 17 में 0.236, किला नम्बर 19 में 0.236 किला नम्बर 22 ता 24 प्रत्येक में 0.152 कुल 0.928 हैक्टर।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी बैक आदि से ऋण ले रखा हो तो समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें पर ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान अलग–अलग कायम किया जावे। निर्णय कर प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.09.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर